सं० ओ०वि०/एफ०डी०/71-84/39039.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भगवान दास भई एण्ड सन्स, गो रोलरज, प्रा० लि०, प्लाट नं० 25, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या प्रबन्धकारियों की संस्था को बन्द करने की कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं तो श्रमिक किस लाभ के हकदार हैं ?

2 क्या प्रबन्धकारियों द्वारा उद्योग को बन्द करके श्रमिकों की सेवायें विधिपूर्वक समाप्त की गई हैं? यदि नहीं तो क्या श्रमिक लगातार वेतन सहित कार्य पर वापिस आने के हकदार हैं ?

एम० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
श्रम विभाग ।

श्रम विभाग

दिनांक 14 अगस्त, 1984

सं. ओ.वि./यमुना/25-84/30688.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, 2. कार्यकारी अभियन्ता मत्र अरबन डिविजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड जगाधरी, के श्रमिक श्री सुमेर चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुमेर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 18 अक्तूबर, 1984

सं. ओ.वि./सोनीपत/127-84/38780.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कुण्डली सोनीपत, के श्रमिक श्री श्याम लाल-2 तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.(ई) श्रम-70/13348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय

हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री श्याम लाल-2 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./सोनीपत/129-84/38787.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कुण्डली सोनीपत, के श्रमिक श्री राम लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के बारे कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 श्रम 70/32573 दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./सोनीपत/112-84/38794.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कुण्डली सोनीपत, के श्रमिक श्री द्वारिका प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री द्वारिका प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./सोनीपत/113-84/38801.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कुण्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री शिव प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शिव प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ?